# कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची।

## स्वीकृत्यादेश

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना अन्तर्गत **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नामकुम** के **पत्रांक 781(।।) राँची दिनांक 11/07/2009** के आधार पर कुल **63** योजनाओं में योजनावार मानक प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

| योजना कोड | पंचायत | ग्राम | योजना का नाम | कोटि | खाता | प्लॉट | रकबा | मजदूरी | सामग्री | प्रा० राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0910080164 | चन्दाघासी | लोधमा | बिजा उराँव के जमीन पर सिंचाई कूप निर्माण | ST | 60 | 137 | 0.89 | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080167 | चन्दाघासी | टोनको | मोसो तिर्की के जमीन पर सिंचाई कूप निर्माण | ST | 128 | 366 | 1.70 | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080169 | चन्दाघासी | ईठे | राजु मुण्डा के जमीन पर सिंचाई कूप निर्माण | ST | 20 | 117 | 46.00 | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080170 | चन्दाघासी | ईठे | दशरथ मुण्डा के जमीन पर सिंचाई कूप निर्माण | ST | 23 | 81 | 1.27 | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080171 | चन्दाघासी | ईठे | सुकरा मुण्डा के जमीन पर सिंचाई कूप निर्माण | ST | 20 | 108 | 0.76 | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080172 | चन्दाघासी | ईठे | विशाल मुण्डा के जमीन पर सिंचाई कूप निर्माण | ST | 20 | 207 | 0.47 | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080173 | चन्दाघासी | ईठे | बाहा उरांव के जमीन पर सिंचाई कूप निर्माण | ST | 13 | 95 | 0.63 | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080174 | चन्दाघासी | ईठे | बिरसा कच्छप के जमीन पर का सिंचाई कूप निर्माण | ST | 13 | | | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080175 | चन्दाघासी | ईठे | भोसा तिर्की के जमीन पर का सिंचाई कूप निर्माण | ST | 16 | 162 | 0.83 | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080177 | चन्दाघासी | ईठे | नेल्सन कच्छप के जमीन पर का सिंचाई कूप निर्माण | ST | 18 | 218 | 56.00 | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080178 | चन्दाघासी | ईठे | ईठे पुल से जोड़नी पथ तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण 0.70 किमी0 | | | | | 1.054 | 0.646 | 1.700 |
| 0910080179 | चन्दाघासी | मरियातु | मंगल मुण्डा के जमीन पर खेत में सिंचाई कूप निर्माण | ST | 36 | 260 | 0.91 | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080184 | चन्दाघासी | कुटेटोली | ओबेरिया स्कूल होते हुए चन्दाघासी पक्की पथ तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण 1 किमी0 | | | | | 1.506 | 0.923 | 2.429 |
| 0910080149 | खिजरी | खिजरी | निर्मल टोप्पो के घर सक कोचाटोली काला रोड तक 2 किमी0 मि0मो0 पथ निर्माण | | | | | 3.012 | 1.846 | 4.858 |
| 0910080150 | खिजरी | तुम्बागुटु | अजय कच्छप के जमीन पर सिंचाई कूप निर्माण | ST | 6 | 1073 | 1.40 | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080152 | खिजरी | तुम्बागुटु | जगना मिंज के जमीन पर के खेत में कूप निर्माण | ST | 18 | 194 | 2.00 | 1.431 | 0.887 | 2.318 |

| योजना कोड | पंचायत | ग्राम | योजना का नाम | कोटि | खाता | प्लॉट | रकबा | मजदूरी | सामग्री | प्रा० राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0910080155 | खिजरी | खिजरी | मनोज एक्का के जमीन पर के खेत में तालाब निर्माण | ST | 80 | 739 | 2.00 | 3.025 | 0.294 | 3.319 |
| 0910080156 | खिजरी | खिजरी | कोचेटोली से स्वर्णरेखा नदी तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण 0.84 किमी0 | | | | | 1.265 | 0.775 | 2.040 |
| 0910080157 | खिजरी | खिजरी | रविकुजुर के जमीन पर के जमीन में सिंचाई कूप निर्माण | ST | 125 | 616 | 0.96 | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080158 | खिजरी | खिजरी | बिरसा कच्छप के जमीन पर सिंचाई कूप निर्माण | ST | 14 | 916 | 1.64 | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080159 | खिजरी | तुम्बागुटु | तुम्बागुटु करमटोली में अखाड.ा के पास से पूर्व की ओर संजय लोहरा के घर होते हुए दरनि ओर सावना नायक के घर तक 1.80 किमी0 मि0मो0 पथ निर्माण | | | | | 2.711 | 1.661 | 4.372 |
| 0910080160 | खिजरी | तुम्बागुटु | डोमन मुण्डा के जमीन पर तालाब निर्माण | ST | 116 | 637 | 1.29 | 3.025 | 0.294 | 3.319 |
| 0910080161 | खिजरी | तुम्बागुटु | चम्पा उरांव के जमीन पर सिंचाई कूप निर्माण | ST | 66 | 1098 | 1.00 | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080162 | खिजरी | तुम्बागुटु | रामावतार केरकेट्टा के जमीन पर तालाब निर्माण | ST | 79 | 1113 | | 3.025 | 0.294 | 3.319 |
| 0910080001 | कुटियातु | सहेरा | जोसेफ के जमीन पर सिंचाई कूप निर्माण | ST | 80 | 305 | 1.00 | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080002 | कुटियातु | सहेरा | सोमा कच्छप के जमीन पर सिंचाई कूप निर्माण | ST | 15 | 211 | 1.00 | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080003 | कुटियातु | सहेरा | मुनु कच्छप के जमीन पर सिंचाई कूप निर्माण | ST | 17 | 681 | 1.00 | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080005 | कुटियातु | तेतरी | संतोष मिंज के जमीन पर सिंचाई कूप निर्माण | ST | 97 | 808 | 1.00 | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080006 | कुटियातु | तेतरी | सुरेश बड़ाईक के जमीन पर तालाब निर्माण 120×100×15’ | ST | 60 | 211 | 1.00 | 3.025 | 0.294 | 3.319 |
| 0910080008 | कुटियातु | कुटियातु | रंगिया मुण्डा के जमीन पर सिंचाई कूप निर्माण | ST | 30 | 115 | 1.00 | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080011 | कुटियातु | कुटियातु | पक्की सड़क से तिवारी भट्ठा तक मोरम पथ निर्माण 2 किमी0 | | | | | 3.012 | 1.846 | 4.858 |
| 0910080012 | कुटियातु | पिण्डार कोम | पंकजमिंज के घर से समीर मिंज के घर तक 1 किमी0 ग्रेड 1 रोड निर्माण | | | | | 1.506 | 0.923 | 2.429 |
| 0910080014 | | | पंकजमिंज के घर से गब्रिएल खाखा के घर तक 1.5 किमी0 मि0मो0 पथ निर्माण | | | | | 2.259 | 1.385 | 3.644 |

| योजना कोड | पंचायत | ग्राम | योजना का नाम | कोटि | खाता | प्लॉट | रकबा | मजदूरी | सामग्री | प्रा० राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0910080018 | कुटियातु | मालती | सालगी लक्ड़ा के जमीन पर सिंचाई कूप निर्माण | ST | 15 | 211 | 1.00 | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080020 | कुटियातु | मालती | एतवा कच्छप के जमीन पर सिंचाई कूप निर्माण | ST | 60 | 220 | 2.00 | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080532 | कुटियातु | कुटियातु | तुपुदाना सड़क से मुगरा मुण्डा के घर होते हुए मारवाड़ी फार्म तक 1 किमी0 मिट्टी मोरम पथ तिर्माण | | | | | 1.506 | 0.923 | 2.429 |
| 0910080355 | सिठियो | सिठियो | कब्रस्थान, से रेलवे लाइन तक 1 कि० मी० मिट्टी मोरम पथ निर्माण | | | | | 1.506 | 0.923 | 2.429 |
| 0910080356 | सिठियो | सिठियो | सिठियो रोड से सिठियो बस्ती तक 2 किमी0 मि0मो0 पथ निर्माण | | | | | 3.012 | 1.846 | 4.858 |
| 0910080360 | सिठियो | सिठियो | सहाय एक्का के जमीन पर के खेत में सिंचाई कूप निर्माण | ST | 10 | 1095 | 0.94 | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080362 | सिठियो | पिण्डर कोम | सिठियो मुस्लिम कब्रिस्तान से मेंजस तिर्की के टांड़ तक 2 किमी0 मिट्टी मोरम पथ निर्माण | | | | | 4.223 | 2.588 | 6.811 |
| 0910080363 | सिठियो | पिण्डर कोम | एडवेट तिर्की के जमीन पर खेत में सिंचाई कूप निर्माण | ST | 12 | 488 | 1.00 | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080365 | सिठियो | जोजोसेरेंग | गुजुआ किस्पोट्टा के जमीन पर गुजुआ किस्पोट्टा का कूप निर्माण | ST | 6 | 186 | 178.00 | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080367 | सिठियो | हुलहुण्डु | राजु के घर से कब्रस्तान तक 0.259 कि० मी० मिट्टी मोरम पथ निर्माण | | | | | 0.39 | 0.239 | 0.629 |
| 0910080371 | सिठियो | पिण्डर कोम | कल्याण तिर्की के जमीन पर` खेत में सिंचाई कूप निर्माण | ST | 20 | 488 | 1.00 | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080372 | सिठियो | पिण्डर कोम | मंगरा के जमीन पर के खेत में तालाब निर्माण | ST | 33 | 769 | 0.80 | 3.025 | 0.294 | 3.319 |
| 0910080374 | सिठियो | जोजोसेरेंग | समीर तिग्गा के जमीन पर के खेत में सिंचाई कूप निर्माण | ST | 6 | 173 | 1.20 | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080375 | सोदाग | घुटिया | डाहु रोड तक जो कचची सड़क को मिट्टी मोरम पथ निर्माण 2 कि० मी० | | | | | 3.012 | 1.846 | 4.858 |
| 0910080376 | सोदाग | जमगाईं | डिम्बो बालमुच के जमीन पर चितवादाग में डिम्बो बालमुचु के खेत में सिंचाई कूप निर्माण | ST | 15 | 151 | | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080379 | सोदाग | जमगाईं | चमरा खोया के जमीन पर चमरा खोया के खेत में सिंचाई कूप निर्माण | ST | 125 | 162 | | 1.431 | 0.887 | 2.318 |

| योजना कोड | पंचायत | ग्राम | योजना का नाम | कोटि | खाता | प्लॉट | रकबा | मजदूरी | सामग्री | प्रा० राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0910080380 | सोदाग | सोदाग | बगीचा टोली से उतर रेलवे लाईन तक मिट्टीमोरम पथ निर्माण 1 कि० मी० | | | | | 1.506 | 0.923 | 2.429 |
| 0910080383 | सोदाग | उपरडहु | कुलदीप मिंज के जमीन पर कुलदीप मिंज के खेत में सिंचाई कूप निर्माण | ST | 20]21 | 328 | | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080384 | सोदाग | उपरडहु | जीता उरांव के जमीन पर जीता उरांव के खेत में सिंचाई कूप निर्माण | ST | 15 | 635 | | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080385 | सोदाग | उपरडहु | अरविन्द एक्का के जमीन पर अरविन्द एक्का के खेत में सिंचाई कूप निर्माण | ST | 15 | 1011 | | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080386 | सोदाग | उपरडहु | जेम्स वाल्टर मिंज के जमीन पर जेम्स वाल्टर मिंज के खेत में सिंचाई कूप निर्माण | ST | 20 | 910 | | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080390 | सोदाग | बन्डा | बन्डा से चितुवादाग जाने वाले पथ पर 3.5 किमी0 मिट्टीमोरम पथ निर्माण | | | | | 5.271 | 3.231 | 8.502 |
| 0910080391 | सोदाग | बन्डा | बुचुवा टोप्पो के जमीन पर बुचुवा टोप्पो के खेत में सिंचाई कूप निर्माण | ST | 16 | 3 | | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080393 | सोदाग | बन्डा | सोमा मिंज के जमीन पर सोमा मिंज के खेत में सिंचाई कूप निर्माण | ST | 22 | 224 | | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080394 | सोदाग | बन्डा | बन्दी बड़ईक के जमीन पर बन्दी बड़ईक के खेत में सिंचाई कूप निर्माण | ST | 29 | 170 | | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080396 | सोदाग | गरसुल | मुकुट लकड़ा के जमीन पर मुकुट लकड़ा के खेत में सिंचाई कूप निर्माण | ST | 44 | 51 | | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080397 | सोदाग | गरसुल | चाये तिर्की के जमीन पर चाये तिर्की के खेत में सिंचाई कूप निर्माण | ST | 35 | 59 | | 1.431 | 0.887 | 2.318 |
| 0910080521 | सोदाग | सोदाग | तानिस तिर्की (तालाब निर्माण) | ST | 129 | 458 | | 3.025 | 0.294 | 3.319 |
| 0910080525 | सोदाग | हेठडहु | भादो एक्का् (तालाब निर्माण) | ST | 15 | 258 | | 3.025 | 0.294 | 3.319 |
| 0910080526 | सोदाग | हुड़िंगदाग | अयुब एक्का (तालाब निर्माण) | ST | 25 | 24 | | 3.025 | 0.294 | 3.319 |
| | | | कुल योग 63 योजना | | | | | 116.760 | 59.469 | 176.229 |

## कार्यारम्भ से पूर्व शर्तें :

1. योजना कार्य में प्रयुक्त होने वाली भूमि का सत्यापन अंचल पदाधिकारी से प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. भूधारी से यह उदघोषणा प्राप्त होना चाहिए कि वह अपनी भूमि जिस प्रयोजन हेतू दान किया है उसमें भविष्य में भी उन्हें आपत्ति नहीं होगी।
3. योजना का कार्य जॉब डिमान्ड के आधार पर ही प्रारम्भ किया जाएगा।
4. योजना स्वीकृति की तिथि से तीन माह के अन्दर निश्चित रूप से पूर्ण कर ली जाएगी।

**कार्यारम्भ से पूर्व निदेश:**

1. योजना प्रारम्भ करने से पूर्व योजना का भूमि संबंधी विवरण यथा खाता, प्लॉट, रकबा एवं भूमि का स्वामित्व अभिलेख में संलग्न करना अनिर्वाय है।
2. कार्यम्भि से पूर्व प्रत्येक योजना स्थल के वर्त्तमान स्थिति का विडियो ग्राफी / फोटोग्राफी करना तथा विवरणी अभिलेख में दर्ज / संलग्न करना अनिर्वाय होगा।
3. यदि किसी योजना में वन क्षेत्र की भूमि सन्निहित हो, तो दक्षिणी छोटानागपुर वन प्रमण्डल, राँची / संबंधित वन प्रमण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करके ही कार्यम्भि करें।

## योजना कार्यान्वयन हेतु निदेश

**पारदर्शिता संबंधी निदेश:**

1. योजना प्रारंभ करने के पूर्व कार्य स्थल पर एक सीमेंटेड बोर्ड बनाकर राँची जिला का लोगो अंकित करते हुए निम्नांकित विवरण अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | योजना का नाम | (ii) | योजना का नाम एवं आवश्यक विवरण |
| (iii) | योजना का प्राक्कलित राशि | (iv) | कार्यान्वयन एजेंसी का नाम |
| (v) | कार्य प्रारम्भ करने की तिथि एवं कार्य पूर्ण करने की अवधि | (vi) | योजना में कार्य करने की न्यनतम मजदूरी दर |
| (vii) | प्रभारी सहायक अभियंता/ कनीय अभियंता का नाम | (viii) | अन्य सूचना |

2. योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाद सं. 196/2001 मामले में दिए गए निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन किया जाएगा।
3. कार्य स्थल पर जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था करना क्रियान्वयन निकाय का दायित्व होगा। चिकित्सकीय सहायता, पीने के पानी, छाया और अगर छ: साल से कम उम्र के 5 या उससे ज्यादा बच्चे हैं तो बालवाड़ी की व्यवस्था क्रियान्वयन निकाय को करनी होगी।
4. मजदूरों को सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन पर साप्ताहिक भुगतान किया जाए। यदि वेतन का भुगतान बैंक / डाकखानों के जरिए किया जा रहा हो तो इस आशय का विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि किस मजदूर को कितना वेतन अदा किया गया है।
5. कार्यस्थल पर मस्टर रोल की मौजूदगी पर ग्राम पंचायत नजर रखेगी।
6. कार्यस्थल पर मस्टर रोल हर वक्त उपलब्ध रहे ताकि लोग जब चाहें उसकी जाँच कर सकें। मस्टर रोल की एक पगति सार्वजनिक निरीक्षण के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में रखी / भेजी जाएगी।
7. ऐसे किसी भी मस्टर रोल को अनाधिकृत और गैरकानूनी माना जाएगा, जिसे कार्यक्रम अधिकारी काय्रलय द्वारा जारी नहीं किया गया है।
8. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के दीर्घकालिन योजना (Perspective Plan) में शामिल योजनाओ में से ही योजनाओं का चयन किया जायगा तथा नियमानुसार एक लाख रू. तक के योजनाओ की तकनीकी स्वीकृति स्थानीय स्तर पर तथाएक लाख रू. से अधिक राशि के योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति हेतु पूर्ण अभिलेख जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रॉची के कार्यालय में

भेजा जाना आवश्यक है। योजना का जन प्राक्कलन (People's Estimate) आवश्यक होगा। सभी श्रमिकों का भुगतान क्षेत्र में अवस्थित डाकघरों / बैंकों के माध्यम से व्यक्तिगत बचत खाता खोलकर किया जायगा तथा संबंधित डाकघर / बैंक प्रभारीयों के माध्यम से सभी संबंधित मजदूरों का बीमा कराना भी आवश्यक होगा।

9. प्रत्येक स्वीकृत कार्य के लिए एक स्थनीय चौकसी एवं निगरानी समिति का गठन किया जायेगा। जिसमें स्थानीय आबादी या गॉव के लोग को लिया जायेगा जहॉ संबंधित परियोजना को लागू किया जा रहा है। इस समिति के लिए सदस्यों का चयन ग्राम सभा करेगी। समिति में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले।
10. लागू किये जा रहे काम के व्यौरे, समयावधि तथा गुणवत्ता मानको के बारे में इस समिति को बताना क्रियान्वयन निकाय का दायित्व होगा। परियोजना पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ इस समिति की अंतिम रिर्पोट भी नथी की जायेगी और उसे पंचायत की अगली ग्राम सभा में पेश किया जायेगा।
11. कार्यस्थल पर स्वीकृति / कार्य आदेश की एक प्रति जनता के लिए उपलब्ध होनी चाहिए।
12. कार्यस्थल पर दैनिक सामग्री रजिस्टर होनी चाहिए।
13. मजदुरों के लिए तय वेतन की दर क्या है। साथ ही काम के विविध आयाम और बाकी जरूरी जानकारियॉं भी दी गई हो।
14. यदि कोई शिकायत प्राप्त हो तो शिकायत निपटारा व्यवस्था के अधिनियम में तय मानको के हिसाब से उसपर सात दिनों के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।
15. कार्य सम्पादन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के मार्गदर्शिका के अनुरूप ही किया जायेगा और किसी भी स्थिति में मार्गदर्शिका से इतर कार्यवाही स्वीकार नहीं की जायेगी।

**<u>तकनीकी एवं अन्य निर्देश:-</u>**

1. कच्चे कामों में सेक्सन मापी के आधार पर ही भुगतान किया जायेगा।
2. योजनावार विगत 5 (पॉँच) वर्षो में किसी भी सरकारी योजना से हुये कार्य की विवरणी अभिलेख पर दर्ज करने के पश्चात हीं कार्याम्भ किया जाय। इस संबंध में यदि किसी योजना में वहीं कार्य पुनः स्वीकृत हो गया हो, जो पूर्व में भी कराया गया था, तो इसकी सूचना स्वीकृत्यादेश प्राप्ति के 5 (पॉच) दिनों के अन्दर अभिकरण कार्यालय को दी जाय, ताकि योजना को अविलम्ब रद्द किया जा सके।
3. योजनावार मापी पुस्त / बिल पर लीड सत्यापित करते हुए सहायक अभिंयता द्वारा प्रामण-पत्र दर्ज किया जायेगा, जिसके अनुरूप ही ढुलाई मद का व्यय देय होगा।
4. प्रत्येक योजना के लिये मास्टर रौल का संधारण अलग-अलग किया जायेगा। जिसमें मजदूरी भुगतान का पूर्ण व्योरा अंकित होगा। मास्टर रौल में अनुसूचित जाति / जनजाति / महिला एवं अन्य जिन्हें मजदूरी पर नियोजन किया जायेगा, उनकी संख्या एवं उनके संबंध में पूर्ण व्योरा अंकित होगा।
5. योजना स्थल पर साईट बुक होगा। जिस पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा, उनकी निरीक्षण टिप्पणी साईट बुक में अंकित की जायेगी। योजनावार अलग-अलग मापी पुस्त निर्गत किया जायेगा तथा योजना अभिलेख के साथ संधारित किया जायेगा। इसमें पृष्ट प्रमाणित रहेगा। प्रतिदिन कराये गये कार्यो की मापी का उल्लेख कनीय अभियंताओं द्वारा मापी पुस्त में किया जायेगा। यदि मापी पुस्त योजना अभिलेख से अलग किया जाता है, तो इसका उल्लेख योजना अभिलेख के उपान्त (मार्जिन) में किया जायेगा। जिससे यह स्पष्ट हो जाय कि वह मापी अभिलेख से किस तिथि को अलग किया गया है। कनीय अभिंयता की मापी पुस्त की सप्ताहिक जॉच सहायक अभिंयता द्वारा निश्चित रूप से किया जायेगा एवं कार्यपालक अभियंता इसकी जॉच प्रत्येक 15 दिन पर निश्चित रूप से करना सुनिश्चित करेंगें।

6. योजना के प्रारम्भ एवं समापन के बीच विभिन्न स्तरों पर किये गये कार्यो का फोटोग्राफ संधारित किया जाना अनिवार्य है। योजना के स्थल के वर्त्तमान स्थिति का फोटोग्राफी भी अभिलेख में संधारित किया जाय।
7. योजनाओं में मानक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रखण्ड के वरीय पदाधिकारी समय-समय पर मानक गुणवत्ता के साथ-साथ योजना में मास्टर रौल की जॉच कर यद सुनिश्चित करेंगें कि योजनाओं का मास्टर रौल सही रूप से संधारित किया जा रहा है एवं यह भी सुनिश्चित किया जाय कि फर्जी मास्टर रौल का संधारण नहीं किया जा रहा है। साथ ही तैयार मास्टर रौल योजना हेतु गठित निगरानी समिति द्वारा सत्यापित किया जा रहा है या नहीं इस पर नजर रखेंगें।
8. इसके अतिरिक्त उप विकास आयुक्त समय-समय पर योजना कार्यान्वयन की जॉच करेंगें।
9. योजना में व्यवहृत सामग्रियों के **<u>विरूद्ध देय रॉयल्टी एवं अन्य टैक्स की कटौती</u>** विपत्र से की जायेगी। काटी गई राशि जिला कोषागार में जमा की जाय। योजना के स्थल की वर्त्तमान स्थिति का फोटोग्राफी भी अभिलेख में संधारित करें।
10. योजना का प्रारम्भ सक्षम प्राधिकार से तकनीकि स्वीकृति के उपरान्त कराया जायेगा।
11. तकनीकि स्वीकृति प्राक्कलन की एक प्रति अभिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. प्रत्येक माह की 25वीं तारीख तक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में भेजा जायेगा।
13. योजना का कार्य बरसात के बाद जॉब डिमाण्ड के आधार पर प्रारम्भ करेंगे।
14. सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर योजना कार्य प्रारम्भ करायेंगे एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन की एक प्रति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रॉंची को भी उपलब्ध करायेंगे।
15. सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अर्थात् 99.00 रूपये के आलोक में ही योजना के क्रियान्वयन में राशि का व्यय किया जायेगा।
16. योजनाओं का संशोधित मानक प्राक्कलन अलग से प्रेषित किया जायेगा।
17. योजना का कार्य निबंधित मजदूर के द्वारा कराया जायेगा। यदि कोई नया मजदूर कार्य के लिए आता है तो सर्व प्रथम उसका निबंधन कर बैंक/डाकघर में खाता खुलवाया जायेगा।
18. व्यक्तिगत लाभ की योजनाएँ यथा सिंचाई कूप एवं तालाब अ०ज०जा०/अ०जा० के लाभार्थियों को ही दी जाए गैर अ०जा०/अ०ज०जा० के लाभार्थियों को अभिकरण के पत्रांक 15 दिनांक 21/01/2008 के आलोक में योजनाएँ दी जाए।
19. सरकार द्वारा जारी मेट से कार्य कराने हेतू विभागीय आदेश संख्या 4297 दिनांक 10/06/2009 एवं अभिकरण के पत्रांक 914 दिनांक 11/06/2009 का अनुपालन किया जाए।
20. सिंचाई कूप एवं मूरम पथ की स्वीकृति मानक प्राक्कलन पर एवं तालाब निर्माण की योजनाओं में प्रखण्ड से प्राप्त प्राक्कलन पर दी गई है।

उपायुक्त के आदेश से,
ह०/-
उप-विकास आयुक्त,
रॉंची

**ज्ञापांक 1429/ जि0ग्रा0, दिनांक 15/08/2009**

प्रतिलिपि: प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नामकुम को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
उप-विकास आयुक्त
रॉंची